प्रेस नोट

दिनांक – 25.11.2026

थाना को0 देहात पुलिस द्वारा शादी का झांसा देकर दुराचार करने के मामले में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तारः-

कार्यवाही-

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 717/2026 धारा 69/61(2) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त नूर आलम पुत्र ननके उर्फ गुलजार अली निवासी प्यारेपुर, मौजा लक्खी भारी, थाना गिलौला, जनपद श्रावस्ती को उसके घर पर दबिश देकर आज दिनांक 25.11.2026 को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना को0देहात पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 20.07.2026 को वादी द्वारा थाना को0 देहात पर लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 30.05.2026 को उनकी दूसरी पत्नी उनकी पूर्व पत्नी की पुत्री को ऑटो रिक्शा से बलरामपुर ले गई, जहां बस स्टेशन पर नूर आलम एवं जाकिर मिले। आरोप है कि नूर आलम वादी की पुत्री को श्रावस्ती स्थित एक होटल में ले गया तथा शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार शारीरिक सम्बन्ध बनाए। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर अभियोग पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. नूर आलम पुत्र ननके उर्फ गुलजार अली निवासी प्यारेपुर, मौजा लक्खी भारी, थाना गिलौला, जनपद श्रावस्ती।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 717/2026 धारा 69/61(2) बीएनएस, थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

1. अतिरिक्त निरीक्षक श्रवण कुमार वर्मा।
2. आरक्षी अनमोल तिवारी।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक – 25.11.2026

थाना परसपुर पुलिस द्वारा दुकान में चोरी करने वाले 02 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, चोरी के 02 टीन रिफाइंड तेल (30 लीटर) एवं ₹5,000 नकद बरामद किया गया-

कार्यवाही/घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 24.11.2026 को थाना परसपुर क्षेत्र के ग्राम धनावा निवासी रोहित कुमार शुक्ला पुत्र बृजकिशोर शुक्ला निवासी ग्राम व पोस्ट धनावा, थाना परसपुर, जनपद गोण्डा की किराने की दुकान में दो व्यक्तियों द्वारा चोरी की जा रही थी। दुकान स्वामी के वापस आने पर एक व्यक्ति दुकान से 02 टीन बावर्ची एक्टिव रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल (कुल 30 लीटर) लेकर बाहर निकलने का प्रयास कर रहा था, जबकि दूसरा उसका साथी बाहर खड़ा था। शोर मचाने पर आसपास के लोगों की मदद से दोनों को मौके पर ही पकड़ लिया गया। पकड़े गए व्यक्तियों की पहचान रामपाल लोधी एवं संजय सिंह निवासी ग्राम धनावा थाना परसपुर जनपद गोण्डा के रूप में हुई। मौके से चोरी के 02 टीन रिफाइंड तेल एवं ₹5,000 नकद बरामद हुए। वादी एवं स्थानीय सहयोगियों द्वारा दोनों अभियुक्तों को चोरी के माल सहित थाना परसपुर लाया गया। थाना परसपुर पुलिस द्वारा आवश्यक कार्यवाही करते हुए दोनों अभियुक्तों को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना परसपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. रामपाल लोधी पुत्र रामदयाल निवासी ग्राम धनावा थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
2. संजय सिंह पुत्र मधुर पाल सिंह निवासी ग्राम धनावा थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी का विवरण-

1. बावर्ची एक्टिव रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल के 02 टीन (कुल 30 लीटर)।
2. ₹5,000 नकद ।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 506/2026 धारा 305(ए)/331(4)/317(2) बीएनएस, थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना परसपुर पुलिस, जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक – 25.11.2026

थाना कौडिया पुलिस द्वारा दहेज मृत्यु के मामले में 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही-

जनपद गोण्डा के थाना कौड़िया पर पंजीकृत मु0अ0सं0 280/2026 धारा 80(2), 85 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त जितेन्द्र कुमार चौहान पुत्र मुरलीधर चौहान निवासी ग्राम चकईपुरवा बनगाई, थाना कौड़िया, जनपद गोण्डा को चकईपुरवा पुलिया के पास, थाना कौड़िया, जनपद गोण्डा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 12.11.2026 को वादी रामसजन पुत्र प्यारे निवासी ग्राम रमनगरा, थाना विशेश्वरगंज, जनपद बहराइच द्वारा थाना कौड़िया पर तहरीर दी गई कि उनकी पुत्री की शादी करीब दो वर्ष पूर्व ग्राम चकईपुरवा बनगाई, थाना कौड़िया निवासी जितेन्द्र कुमार चौहान के साथ हुई थी। शादी के समय से ही ससुराल पक्ष द्वारा सोने की चैन की मांग की जा रही थी तथा मांग पूरी न होने पर उनकी पुत्री को प्रताड़ित एवं मारपीट किया जाता था। वादी के अनुसार दिनांक 11.11.2026 को उनकी पुत्री को दहेज की मांग को लेकर ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा प्रताड़ित करते हुए रस्सी से लटका दिया गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना को0नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. जितेन्द्र कुमार चौहान पुत्र मुरलीधर चौहान, निवासी ग्राम चकईपुरवा बनगाई, थाना कौड़िया, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 280/2026 धारा 80(2), 85 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट, थाना कौड़िया, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री अमन कनौजिया ।
2. मुख्य आरक्षी अरुण शंकर सिंह।
3. आरक्षी रिषित कुमार।

मीडिया सेल, गोण्डा।